



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला :-बालोद (छ.ग.)

AISHE CODE : C-21812

email:- govtcollege_khertha@rediffmail.com
http://www.govtcollegekhertha.in

क्रमांक / 53 / स्था. / 2021

खेरथा, दिनांक : 08 / 07 / 2021


प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत खेरथा,
जिला-बालोद (छ.ग.)

विषय:- एम.ए.राजनीति विज्ञान के छात्र/छात्राओ को ग्राम पंचायत खेरथा में शैक्षणिक भ्रमण कराने बाबत।

—000—

विषयान्तर्गत लेख है महाविद्यालय के एम.ए.राजनीति विज्ञान के छात्र/छात्राओ हेतु पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली से अवगत कराने हेतु शैक्षणिक भ्रमण कराना लाभकारी होगा। अतः दिनांक 12.07.2021 को ग्राम पंचायत खेरथा भ्रमण हेतु व्यवस्था करने का कष्ट करें इस हेतु शासन द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल के नियम के तहत सभी छात्र-छात्राएं उचित व्यवहार करेंगे। इस भ्रमण में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो. डॉ.चन्द्रकुमार गजभिये, प्रो. श्री कोमल रावटे उपस्थित रहेंगे।

Received

सरपंच
ग्राम पंचायत-खेरथाबाजार
ज.पं. डौंडीलोहारा
जिला-बालोद (छ.ग.)

Principal
यासर कुरैशी
प्र.प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय खेरथा
बालोद (छ.ग.)



Principal
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

आज दिनांक 12/7/21 को जिला बालोद खेरथा जिला बालोद में संस्था के प्राचार्य श्री प्रामर नुरेडी के निवेदन में एम. ए. राजनीति विभाग के छात्र [छात्राओं] को ग्राम पंचायत खेरथा में शैक्षणिक भ्रमण के लिये पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिये उपस्थित की। पंचायती राज से सम्बंधित जानकारी लक्ष्मि महोदय द्वारा गांधीजी के निपने को निकार करते हुए 1993 में 73वें संविधान के तहत अनुच्छेद 243(क) में प्रतिस्थापित छ. 50 पंचायती राज अधिनियम की धारा (6) के अन्तर्गत पंचायत से सम्बंधित जानकारी दी। ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ मतदारांशों की संख्या 1170 है। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम पंचायत योजना की अन्तर्गत मुख्य रूप से दी जाने वाली सुविधा जैसे -

पेड़ान योजना / विधवा पेंशन अथवा एएड पेड़ान सुविधा के साथ साथ पंचायत नल योजना तथा साफ-सफाई व्यवस्था करवाई जाती है। ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत खेती बाजार तथा धवनाय से सम्बंधित दुकाने हैं जिनसे कर लिया जाता है।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत


त्रि-स्तरीय पंचायत राज का गठन एवं नियम की जानकारी दी।

इसमें प्रो. डॉ. चन्दु कुमार गजबिषे प्रो. कोमलशबेर तथा राजनीति विभाग के 13 छात्र/छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दी।




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

P.T.O.




क्र०	नाम	पिता का नाम	कक्षा	हस्ताक्षर
1	लेखराम	नरेश सिंह	M.A. IV Semester	Ceshram
2	अशुभा गौरीधर	विश्वर मोदी	M.A. IV	Asubha
3	गौदनी निषाद	इन्दुल निषाद	M.A. IV	Chandani
4	निवेका	विदेशी	M.A. IV	Nivika
5	दुगा खाडू	जोहंदु कुमार	M.A. IV	Duga
6	लीमा	धरमपाल	M.A. IV	Limma
7	गुलिश्तरी	विराट राम	M.A. IV	Gulishtri
8	नोमिन	दुसारसिंग	M.A. IV	Nomin
9	पंकज	शिबुदयान	M.A. IV	Pankaj
10	स्वचित	सेवक राम	M.A. II	Swachit
11	केशरी	सुवराज सिंह	M.A. II	Keshri
12	पुलिभा	अतिलाल	M.A. II	Pulibha
13	राजेश कुमार	मनोहर लाल	M.A. II	Rajesh



प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
जिला बालोद (छ. ग.)


सचिव
ग. व. संवायन, खेरथाबाजार
जि. ब. बालोद (छ. ग.)


विक्रम सिंह सिन्हा
सचिव,
ग. व. संवायन, खेरथाबाजार
ज. व. सं. जि. बालोद (छ. ग.)




Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)



Principals
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)